


सहायक जन सूचना अधिकारी / स.कार्मिक अधिकारी
मंडल कार्यालय
उत्तर पश्चिम रेलवे
अजमेर।

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराना।

- संदर्भ: 1. आपके कार्यालय द्वारा जन सूचना अधिकारी, DFCCIL, अजमेर को प्रेषित पत्र संख्या आरटीआई/अजमेर मंडल/अगस्त/7386 दिनांक 11.09.2020.
2. मुख्य महाप्रबंधक, DFCCIL, अजमेर पत्र संख्या अज./ए.डी./ आरटीआई/281 दिनांक 01.10.2020.

उपरोक्त संदर्भित (संदर्भ-1) पत्र के माध्यम से श्री काशीराम रावल के आवेदन को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 कि धारा -6(3) के अंतर्गत जन सूचना अधिकारी DFCCIL, अजमेर को सूचना उपलब्ध कराने हेतु स्थानांतरित किया गया था। उपरोक्त आवेदन के सन्दर्भ में, संबंधित कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना, कार्यकारी अभियंता/निर्माण/आबूरोड, उत्तर पश्चिम रेलवे से संबंधित है (संदर्भ-2)।

अतः यह आवेदन सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 कि धारा -6(3) स्थानांतरित करते हुए निवेदन है कि आवेदक श्री काशीराम रावल को सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा में सूचना उपलब्ध कराए एवं इस कार्यालय को भी सूचित करें।


08.10.2020

(एस. के. राय)

उप. महाप्रबंधक /प्रशा. (ज. सू. अ.)

011-23454707

संलग्न: 03 पृष्ठ.

प्रतिलिपि: 1. मुख्य महाप्रबंधक, DFCCIL, अजमेर- सूचना हेतु।

2. श्री काशीराम रावल
रावल लेन, पोस्ट पिंडवाड़ा
जिला सिरोही, राजस्थान-307022
मोबाइल-9828429182
- उपरोक्त आवेदन के सन्दर्भ में DFCCIL कार्यालय से संबंधित जानकारी संलग्न है। अन्य बिन्दुओं कि जानकारी हेतु कृपया सहायक जन सूचना अधिकारी / स.कार्मिक अधिकारी, मंडल कार्यालय, उत्तर पश्चिम रेलवे, अजमेर से संपर्क करें।



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया
लि.
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight corridor Corporation of India Ltd.
A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

क्रमांक अज./ए.डी./आर.टी.आई./281


दिनांक 01.10.2020

सहायक जन सूचना अधिकारी/स.कार्मिक अधिकारी
मंडल कार्यालय,
उत्तर पश्चिम रेलवे,
अजमेर।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना बाबत।
संदर्भ :- आपके कार्यालय का पत्र सं. आर.टी.आई./अजमेर मंडल/अगस्त/7386
दिनांक 11.09.2020

उपरोक्त काशीराम रावल, रावल लेन, पिण्डवाडा की आर टी आई के संबंध में
मदानुसार टिप्पणी निम्नासुर है:-

1. कि.मी. 554/5-6 पर आर.यू.बी. का निर्माण XEN/C/ABR द्वारा करवाया गया है अतः स्वीकृत GAD की प्रतिलिपि XEN/C/ABR से प्राप्त की जाये।
2. XEN/C/ABR से संबंधित।
3. XEN/C/ABR से संबंधित।
4. XEN/C/ABR से संबंधित।
5. वर्षा ऋतु में इस आर.यू.बी. की पानी की निकासी का कार्य मंडल रेल प्रबंधक के आदेशानुसार सहायक मंडल इंजीनियर आबूरोड उ.प.रे. द्वारा किया जा रहा है।


मुख्य महाप्रबन्धक
डीएफसीसीआईएल, अजमेर

प्रति:-श्री एस.के. रोय, डीजीएम एव जन सूचना अधिकारी
डी.एफ.सी.सी.आई.एल.,
नई दिल्ली।